



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जुलाई, 2024 ई0 (आषाढ़ 15, 1946 शक सम्वत्) [संख्या-27

विषय—सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द्रा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1—विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	557-561	1500
भाग 1—क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	253-255	1500
भाग 2—आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6—बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8—सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	161-185	975
स्टोर्स पर्वेज—स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

राजस्व अनुभाग-3

अधिसूचना

18 जून, 2024 ई0

संख्या 248/XVIII(3)/2024-03(6)/2016-राज्यपाल, उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करते हैं कि नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित ग्राम, जिसे अधिसूचना संख्या-70/1-14-2000-49(2)-94-81, दिनांक 10 मार्च, 2000 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा गया था, में सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियायें इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से बन्द हो जायेंगी।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम का नाम
1	2	3	4
ऊधमसिंह नगर	सितारगंज	किलपुरी	नकुलिया

आज्ञा से,

रमेश कुमार सुधांशु,

प्रमुख सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provision of Clause (3) of the article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.248/XVIII(3)/2024-03(6)/2016 dated: June 18, 2024 for general information.

NOTIFICATION

June 18, 2024

No. 248/XVIII(3)/2024-03(6)/2016--In exercise of the powers conferred by section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U.P.Act No. 03 of 1901) (as applicable to the State of Uttarakhand), the Governor declare that the Survey and Record Operation in the village mentioned in the Schedule below which were placed under Survey and Record Operation Vide Govt. Notification No. 70/1-14-2000-49(2)-94-81, dated 10 March, 2000 shall be closed with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Schedule

District	Tehsil	Pargana	Name of Village
1	2	3	4
Udham Singh Nagar	Sitarganj	Kilpuri	Nakuliya

By Order ,

RAMESH KUMAR SUDHANSHU,

Principal Secretary, Revenue.

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

अधिसूचना

14 जून, 2024 ई0

संख्या 408/XXIV-C-3/2024-13(20)2023(Comp no-58066)--उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2024) के माध्यम से प्रायोजक निकाय माया देवी एजुकेशनल फाउण्डेशन, 4 बलबीर रोड़, देहरादून द्वारा प्रायोजित "माया देवी विश्वविद्यालय", एन0एच-72, निकट होटल दी कॉम्पीटेन्ट पैलेस, सेन्द्रल होप टाऊन, सेलाकुई, चकराता रोड़, देहरादून, उत्तराखण्ड नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

अतएव, अब, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल एन0एच-72, निकट होटल दी कॉम्पीटेन्ट पैलेस, सेन्द्रल होप टाऊन, सेलाकुई, चकराता रोड़, देहरादून उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालय "माया देवी विश्वविद्यालय" नाम से उत्तराखण्ड में स्थापित व संचालित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.408/XXIV-C-3/2024-13(20)2023(Comp no-58066) dated: June 14, 2024.

NOTIFICATION

June 14, 2024.

No. 408/XXIV-C-3/2024-13(20)2023(Comp no 58066)--A private University, with the name "Maya Devi University", NH-72, Near Hotel The Competent Palace, Central Hope Town, Selaqui, Chakrata Road, Dehradun, Uttarakhand sponsored by Maya Devi Educational Foundation, 4 Balbir Road, Dehradun has been established vide the Uttarakhand Private University Act, 2023 (Uttarakhand Act No. 02 of 2024), as amended by the Uttarakhand Private University (Amendment) Act, 2024 (Uttarakhand Act No. 05 year 2024).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power under sub-section (1) of section 7 of the Uttarakhand Private University Act, 2023 the Hon'ble Governor is pleased to permit the aforesaid University to establish and operate with the name "Maya Devi University", Uttarakhand in NH-72, Near Hotel The Competent Palace, Central Hope Town, Selaqui, Chakrata Road, Dehradun.

अधिसूचना

14 जून, 2024 ई0

संख्या 513/XXIV-C-3/2024-13(07)2023(Comp no-52042)--उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2024) के माध्यम से प्रायोजक निकाय एसके एजुकेशनल ट्रस्ट, एफ-1, रेसकोर्स, देहरादून द्वारा प्रायोजित "डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय", 122 एमआई सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखण्ड नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

अतएव, अब, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल 122 एमआई सेलाकुई, देहरादून, उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालय "डीबीएस ग्लोबल विश्वविद्यालय" नाम से उत्तराखण्ड में स्थापित व संचालित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.513/XXIV-C-3/2024-13(07)2023(Comp no 52042) dated: June 14, 2024.

NOTIFICATION

June 14, 2024

No. 513/XXIV-C-3/2024-13(07)2023(Comp no 52042)--A private University with the name "DBS Global University",

122 MI, Selaqui, Dehradun, Uttarakhand sponsored by Eskay Educational Trust, F-1, Race Course, Dehradun has been established vide the Uttarakhand Private University Act, 2023 (Uttarakhand Act No. 02 of 2024), as amended by the Uttarakhand Private University (Amendment) Act, 2024 (Uttarakhand Act No. 05 year 2024).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power under sub-section (1) of section 7 of the Uttarakhand Private University Act, 2023 the Hon'ble Governor is pleased to permit the aforesaid University to establishes and operate with the name "DBS Global University", Uttarakhand in 122 MI, Selaqui, Dehradun.

अधिसूचना

14 जून, 2024 ई०

संख्या 415/XXIV-C-3/2024-13(35)2018(Comp no-33241)—उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2024) के माध्यम से प्रायोजक निकाय माइन्ड पावर एजुकेशनल, बी-2/73, द्वितीय तल, सेक्टर-06, रोहिणी, दिल्ली-110085 द्वारा प्रायोजित माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी, नैनीताल, उत्तराखण्ड नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

अतएव, अब, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल ग्राम बोहराकून रोड, भीमताल, नैनीताल, उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालय "माइन्ड पावर यूनिवर्सिटी" नाम से उत्तराखण्ड में स्थापित व संचालित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.415/XXIV-C-3/2024-13(35)2018(Comp no 33241) dated: June 14, 2024.

NOTIFICATION

June 14, 2024

No. 415/XXIV-C-3/2024-13(35)2018(Comp no 33241)--A private University with the name "Mind Power University", Nainital, Uttarakhand sponsored by Mind Power Educational Society, B-2/73, 2nd Floor, Sector-06, Rohini, Delhi-110085 has been established vide the Uttarakhand Private University Act, 2023 (Uttarakhand Act No. 02 of 2024), as amended by the Uttarakhand Private University (Amendment) Act, 2024 (Uttarakhand Act No. 05 year 2024).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power under sub-section (1) of section 7 of the Uttarakhand Private University Act, 2023 the Hon'ble Governor is pleased to permit the aforesaid University to establishes and operate with the name "Mind Power University", Uttarakhand in village Bohrakoon Road, Bhimtal, Nainital.

अधिसूचना

14 जून, 2024 ई०

संख्या 419/XXIV-C-3/2024-13(13)2021(Comp no-15482)—उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 02, वर्ष 2024) एवं उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 05, वर्ष 2024) के माध्यम से प्रायोजक निकाय श्रीमती मंजीरा देवी शिक्षण एवं प्रशिक्षण समिति, डॉ० हरिशंकर नौटियाल भवन, ग्राम हिटाणू, पो० पुजार गांव, धनारी, तहसील डूंडा, उत्तरकाशी द्वारा प्रायोजित "श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय", हिटाणू धनारी, डूंडा, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

अतएव, अब, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल हिटाणू धनारी, डूंडा, उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालय "श्रीमती मंजीरा देवी विश्वविद्यालय" नाम से उत्तराखण्ड में स्थापित व संचालित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.419/XXIV-C-3/2024-13(13)2021(Comp no 15482) dated: June 14, 2024.

NOTIFICATION

June 14, 2024

No. 419/XXIV-C-3/2024-13(13)2021(Comp no 15482)--A private University with the name "Smt. Manjira Devi University", Hitanu Dhanari, Dunda, Uttarkashi, Uttarakhand sponsored by Smt. Manjira Devi shikshan Evam Parshikshan Samiti, Dr. Harishankar Nautiyal Bhawan, Village Hitanu, P.O. Pujar Village, Dhanari, Tehsil Dunda, Uttarkashi has been established vide the Uttarakhand Private University Act, 2023 (Uttarakhand Act No. 02 of 2024), as amended by the Uttarakhand Private University (Amendment) Act, 2024 (Uttarakhand Act No. 05 year 2024).

NOW, THEREFORE, in exercise of the power under sub-section (1) of section 7 of the Uttarakhand Private University Act, 2023 the Hon'ble Governor is pleased to permit the aforesaid University to establish and operate with the name "Smt. Manjira Devi University", Uttarakhand in Hitanu Dhanari, Dunda, Uttarkashi.

By Order ,

SHAILESH BAGAUJI,

Secretary.

श्रम अनुभाग**अधिसूचना**

15 जून, 2024 ई०

संख्या 606/VIII-I/24-331(श्रम)/2002—उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा-26 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र 04—बद्रीनाथ तथा जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र 33—मंगलौर विधान सभा के उप निर्वाचन-2024 हेतु दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को निर्धारित मतदान के लिए उक्त संबंधित क्षेत्रों में स्थित समस्त दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) को, यदि उक्त दिवस को ऐसे दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान दिवस को "सवेतन सार्वजनिक अवकाश" के रूप में मनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कारखाने के विषय में निर्देश दिये जाते हैं कि—

(i) कारखानों के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 10 जुलाई 2024 (बुधवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो संबंधित कारखाने के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।

(ii) किन्तु अविरल प्रक्रिया (Continuous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबंधक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

आज्ञा से,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम्,

सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जुलाई, 2024 ई० (आषाढ़ 15, 1946 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य—विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

June 13, 2024

No. 1061/III-A-08/2024/SLSA--Shri Akram Ali, Secretary, District Legal Services Authority, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for a period of 10 days w.e.f. 17.05.2024 to 26.05.2024.

By Order of the Hon'ble Executive Chairman,

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

NOTIFICATION

June 18, 2024

No.246/UHC/Admin.A-2/2024--The Chief Judicial Magistrate, Rudraprayag shall have the additional charge of the Court of Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag until completion of maternity leave of Ms. Suman, Civil Judge (Sr. Div.), Rudraprayag or till further orders, whichever is earlier, in light of the provisions of Notification No. 179/ Nyay Anubhag/2001 dated 17th March, 2001.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL**NOTIFICATION**

June 21, 2024

No.247/XIV-a-36/Admin.A-2/2023--Ms. Sonam Rawat, Judicial Magistrate-IV, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 14.03.2024 to 22.03.2024.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

NOTIFICATIONJune 20, 2024
21

No.248/UHC/Admin.A/2024--To ensure efficiency and effectiveness in functioning of Paperless Court; henceforth-

Fresh cases filed till 01:30 P.M. shall be taken up on the same day for scrutiny so that sufficient time remains available for Digitization.

Cause List shall be published a day before the date of listing, so that a duration of at least 24 hours is maintained between date of publication of Cause List and date of listing of the case in the Hon'ble Court.

In contingencies, Supplementary Cause List may be published.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

NOTIFICATION

June 21, 2024

No.249/XIV-a-36/Admin.A-2/2023--Ms. Sonam Rawat, Judicial Magistrate-IV, Dehradun is hereby sanctioned following medical leaves:

1.	w.e.f. 11.01.2024 to 16.01.2024 [06 days]
2.	w.e.f. 19.02.2024 to 26.02.2024 [08 days]

NOTIFICATION

June 21, 2024

No.250/XIV-a-36/Admin.A-2/2023--Ms. Sonam Rawat, Judicial Magistrate-IV, Dehradun) is hereby sanctioned medical leave for 97 days w.e.f. 29.08.2023 to 03.12.2023.

NOTIFICATION

June 21, 2024

No.251/XIV-a-32/Admin.A/2016--Ms. Aishwarya Bora, Judicial Magistrate, Bageshwar is hereby sanctioned medical leave for 25 days w.e.f. 18.04.2024 to 12.05.2024.

NOTIFICATION

June 21, 2024

No.252/XIVa-41/Admin.A/2021--Shri Devansh Rathore, the then Civil Judge (Jr. Div.), Kichha, District Udham Singh Nagar presently posted as Civil Judge (Jr. Div.), Tharali District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 04.03.2024 to 16.03.2024 with permission to prefix 03.03.2024 & suffix 17.03.2024 as Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 06 जुलाई, 2024 ई0 (आषाढ़ 15, 1946 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे आर्मी अभिलेख /Ex- सर्विस नं0 4057352M RANK/SEP में त्रुटिवश मेरा नाम (GOVIND SINGH) दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम (GOVING SINGH SOLANKI) है, भविष्य में मुझे (GOVING SINGH SOLANKI) S/O (LATE TUMMI SINGH SOLANKI) के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

(GOVING SINGH SOLANKI)

S/O (LATE TUMMI SINGH SOLANKI)

निवासी-47, ए बड़ासी ग्रान्ट रायपुर

बरसी ग्रान्ट देहरादून, उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

22 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक 1835/अना0प्र0प0/न0प0ल0/2023-24-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत लण्डौरा सीमान्तर्गत उ.प्र.नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 क, 293, 294, व 296 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड (ज) (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत लण्डौरा द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-294 के तहत विभिन्न व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क आरोपित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या 399/वी-95-204(जनरल)/94 दिनांक 20.10.1994 के अनुसार "विभिन्न व्यवसायों हेतु व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2023" बनायी गई है जो उपविधि नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301(1) के अन्तर्गत सरकारी गजट में प्रकाशित होने के उपरान्त लागू होगी। परन्तु इससे पूर्व इस उपविधि को जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशन कराया जाना है। समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर जनसामान्य को लिखित में आपत्ति/सुझाव/शिकायत देने होंगे। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा तथा जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित की जा रही है।

व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि- 2023संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

- क- यह उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा जिला हरिद्वार, व्यवसायिक लाइसेन्स एवं शुल्क वसूली उपविधि 2023 कहलायेगी।
- ख- यह उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा जिला हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- ग- यह उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा जिला हरिद्वार प्रख्यापति तथा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

1. परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई वादा प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

- (क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा जिला हरिद्वार से है।
- (ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार की सीमाओं से है।
- (ग) "अधिकासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार से है।
- (घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार के अध्यक्ष से है।
- (ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार के निर्वाचित बोर्ड से है।
- (च) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश, नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश-2002 से है।
- (छ) "लाइसेन्स" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा जिला हरिद्वार की सीमान्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के लाइसेन्स दिये जाने एवं उनसे निर्धारित शुल्क वसूली से है।
- (ज) "अवधि" का तात्पर्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष अथवा (1 अप्रैल से 31 मार्च) 1वर्ष के लिए दिये जाने वाले व्यवसायिक लाइसेन्स से है।

अनुसूची

क्र0सं0	मद का नाम	लाइसेन्स शुल्क की प्रस्तावित दर वार्षिक
01	होटल लार्जिंग/गैस्ट हाउस/आश्रम 10 शैया तक	500.00
02	होटल लार्जिंग/गैस्ट हाउस/आश्रम 11 से 20 शैया तक	1000.00
03	तीन सितारा होटल अथवा बिना स्टार 20 शैया से 30 शैया तक	3000.00
04	उपरोक्त 31 शैया से 40 शैया तक	4000.00
05	उपरोक्त 41 शैया से 50 शैया तक	5000.00
06	उपरोक्त 50 से ऊपर	6000.00
07	तीन सितारा होटल	8000.00
08	पाँच सितारा होटल	10000.00
09	रेस्टोरेन्ट उच्च श्रेणी	2000.00
10	रेस्टोरेन्ट मध्यम श्रेणी	1000.00
11	रेस्टोरेन्ट सामान्य श्रेणी	500.00
नर्सिंग होम		
12	नर्सिंग होम (01 बैड से 20 बैड तक)	1000.00
13	नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर)	2000.00
14	प्रसूति गृह (01 बैड से 20 बैड तक)	1000.00
15	प्रसूति गृह (20 बैड से ऊपर)	2000.00
16	प्राइवेट अस्पताल	3000.00
17	पैथोलॉजी सेंटर	2000.00
18	एक्सरे क्लीनिक	1500.00
19	डेंटल क्लीनिक	1000.00
20	प्राइवेट क्लीनिक	1500.00
परिवहन		
21	घोडा तांगा	50.00
22	रिक्शा किराये पर	25.00
23	रिक्शा (निजी चालक)	25.00
24	ढेला/ढेली	25.00
25	हाथ ढेली	25.00
26	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी/किराये पर चलना	25.00
27	ट्रैक्टर द्रात्री/छोटा हाथी	100.00
28	अन्य चार पहिये के वाहन (व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन)	200.00
29	मोटर गैराज	300.00
30	स्कूटर गैराज/रिपेयरिंग शॉप	250.00
31	मोटर वाहन एजेन्सी (सैल्स/सर्विस)	2000.00
32	स्कूटर एजेन्सी (दो पहिया/तीन पहिया)	1500.00
33	साइकिल की दुकान	500.00
पैट्रोलियम		
34	पैट्रोल/डीजल पम्प थोक विक्रेता कम्पनी	2000.00
35	पैट्रोल/डीजल पम्प फुटकर विक्रेता	1000.00
36	जनरेटर डीजल/पैट्रोल	1000.00
37	दुकान अन्य पैट्रोलियम उत्पादन	500.00
अन्य व्यवसाय		
38	धुलाई गृह (लान्ड्री)	100.00
39	झाई क्लीनर	100.00
40	फाईनैन्स कम्पनी, चिट फन्ड	500.00
41	इन्सोरेन्स कम्पनी, प्रति शाखा	500.00
42	फाउन्डिंग इंजीनियरिंग इन्स्टिटयुट	1000.00

43	आईस फैक्ट्री तथा कोल्ड ड्रिंक्स सोडा ऐस्टेड वाटर फैक्ट्री	1000.00
44	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	2000.00
45	आटा चक्की	250.00
46	गूदड़ गोदाम	500.00
47	कंकड़ तथा सुखी की भट्टी	500.00
48	चूना	500.00
49	ईट का भट्टा	7000.00
50	साबुन की फैक्ट्री	5000.00
51	करेसर/गन्ना कोल्हू	5000.00
52	लोहा व्यापारी, टिम्बर, सीमेन्ट, ईटा, बालू(थोक मोरंगा, मारवल, टाईल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर	2000.00
53	फुटकर बिजली के सामान के विक्रेता	500.00
54	कपड़ा थोक विक्रेता	1000.00
55	कपड़ा फुटकर विक्रेता	500.00
56	कैटरिंग	500.00
57	बेकरी (भट्टी)	500.00
58	बेकरी (पॉवर)	1000.00
59	हेयर कटिंग सैलून	200.00
60	ब्यूटी पार्लर	500.00
61	कुकिंग गैस एजेन्सी	1000.00
62	जनरल मर्चेन्ट थोक	500.00
63	टेलरिंग हाउस (5 से अधिक कर्मचारी)	200.00
64	टेलरिंग हाउस (5 कर्मचारी तक)	100.00
65	कोयला (थोक विक्रेता)	200.00
66	कोयला (फुटकर विक्रेता)	100.00
67	बड़ी नावें, मोटर बोट	1000.00
68	छोटी नावें, मोटर बोट	500.00
69	पेन्ट की दुकान	500.00
70	ज्वैल्स (बड़े) 5लाख से ऊपर टर्नओवर	1000.00
71	ज्वैल्स (छोटे) 5लाख तक टर्नओवर	500.00
72	विज्ञापन एजेन्सी	1000.00
73	डेयरी (दूध, दही, पनीर एवं दूध से बने अन्य पदार्थ)	500.00
74	भूसा (थोक विक्रेता)	500.00
75	भूसा (फुटकर विक्रेता)	250.00
76	मोबाइल नेटवर्क टावर	वार्षिक किराये का 10%
77	मोबाइल विक्रेता/विभिन्न मोबाइल कंपनियों के रिचार्ज एवं मरम्मत की दुकान	500.00
78	केबिल टी0वी0	1000.00
79	आर्किटेक्ट, कम्सलटेन्ट, विधि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, फास्ट एकाउन्टेन्ट	2000.00
80	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (थोक विक्रेता)	500.00
81	अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खण्डसारी (फुटकर विक्रेता)	300.00
82	आईस फैक्ट्री	500.00
83	टैन्ट हाउस	1000.00
84	राफिटिंग	1000.00
85	जेम्स एण्ड हैण्डिकाफ्ट इम्पोर्टियम (बड़ी दुकान)	1000.00
86	जेम्स एण्ड हैण्डिकाफ्ट इम्पोर्टियम (छोटी दुकान)	500.00
87	रेडीमेट गारमेन्ट्स (बड़ी दुकान)	1000.00
88	रेडीमेट गारमेन्ट्स (छोटी दुकान)	500.00
89	टूर एण्ड ट्रेवल्स	2000.00
90	योग एवं ध्यान केन्द्र	1000.00
91	फोटोग्राफर	500.00
92	टूरिस्ट गाईड	500.00
दुकान		
93	पान की दुकान	100.00
94	चाय की दुकान	100.00

95	जनरल मर्चेन्ट की दुकान	500.00
96	किताबों की थोक की दुकान	500.00
97	किताबों की फुटकर दुकान	200.00
98	न्यूज पेपर	200.00
99	लकड़ी के टाल की दुकान (थोक विक्रेता)	1000.00
100	लकड़ी के टाल की दुकान (फुटकर विक्रेता)	500.00
101	टिम्बर मर्चेन्ट	3000.00
102	रेडियो/मैकेनिक/टी0वी0 मरम्मत	200.00
103	टी0वी0 शॉप/इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ	500.00
104	फर्टिलाइजर शॉप	500.00
105	चाट/बताशे की दुकान	200.00
106	झाई फुट विक्रेता (थोक विक्रेता)	500.00
107	झाई फुट विक्रेता (फुटकर विक्रेता)	250.00
108	मिठाई की दुकान	500.00
109	गैस फिलिंग प्लांट	2000.00
110	सब्जी की दुकान और फल की दुकान	100.00
111	मसाले थोक विक्रेता	500.00
112	फर्नीचर की दुकान (शोरूम)	2500.00
113	फर्नीचर विक्रेता	1000.00
114	कॉकरी विक्रेता	500.00
115	चूड़ी विक्रेता	200.00
116	चप्पल जुतों के थोक विक्रेता	500.00
117	चप्पल जुतों के फुटकर विक्रेता	250.00
118	देशी शराब की दुकान पर	5000.00
119	विदेशी शराब की दुकान पर	8000.00
120	बार/बियर की दुकान	5000.00
121	भैंसा मॉस की दुकान	1000.00
122	बकरा मॉस की दुकान	500.00
123	अन्य मॉस की दुकान	1000.00
पशुपालन		
124	प्रति पशु	20.00
125	कान्जी हाउस में बन्द जानवरों में जुर्माना प्रति जानवर	300.00
126	प्रतिदिन खुराक छोटे जानवरों बकरी आदि	100.00
127	प्रतिदिन खुराक बड़े जानवरों गाय, भैंस, घोड़ा आदि	200.00

- लाइसेन्स आवेदक द्वारा लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ दो फोटो (पासपोर्ट साइज) खींची होनी चाहिए तथा आवेदन में व्यवसाय का मद विवरण भी देना होगा।
- प्राप्त आवेदन पत्र पर नगर पंचायत द्वारा समुचित विचारोपरान्त 15 दिवस के अन्दर शुल्क लेकर लाइसेन्स दिये जोन का निर्णय लिया जायेगा, जिसकी सूचना आवेदक को विभाग द्वारा दे दी जायेगी।
- सूची में वर्णित व्यवसायिक लाइसेन्स 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक की अवधि के बीच व्यवसायों द्वारा प्रत्येक दशा में बनवाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक मद के लाइसेन्स की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च (एक वित्तीय वर्ष) तक वैध होगी, नियत अवधि तक अगर कोई व्यवसायी अपना लाइसेन्स नहीं बनवाता है। तो उसे विलम्ब शुल्क के रूप में 20/- रु0 प्रति माह की दर से लाइसेन्स शुल्क के अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
- लाइसेन्स जारी करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लण्डौरा में निहित होगा।
- जांचकर्ता को जांच के समय व्यवसाय के सम्बन्ध में सभी प्रकार की सूचना उपलब्ध कराने का उत्तरायित्व स्वयं व्यवसायी का होगा।

6. व्यवसाय से सम्बन्धित व्यवसायी स्वयं अथवा अपनी एजेन्सी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच का कार्य सम्पादित करा सकता है, जो नगर पंचायत लण्डौरा के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वयं या अधिशासी अधिकारी द्वारा नियम कर्मी द्वारा किया जाना मान्य होगा।
7. लाइसेन्सधारक अपना व्यवसाय बदलता है तो उसकी सूचना अनिवार्य रूप से एक माह के अन्दर नगर पंचायत भगवानपुर में अपने पुराने लाइसेन्स विवरण के साथ लिखित रूप में उपलब्ध करा देगा।
8. उक्त सूची में वर्णित लाइसेन्सों के नियम का उल्लंघन होने की दशा में लाइसेन्स अधिकारी जनहित में किसी भी समय लाइसेन्स निरस्त कर सकता है। लाइसेन्स अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई का अधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपनियम का उल्लंघन उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916, (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा 29 की उपधारा

(1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा जो मु० 1,000.00 रूपया तक ही हो सकता है। उपनियम का उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अग्रेतर जुर्माना लिया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें व्यवसायी द्वारा निरन्तर अपराध करते रहना सिद्ध हो जाता है तो रु० 25.00 प्रतिदिन तक हो सकता है। यह अधिकार नगर पंचायत लण्डौरा जिला हरिद्वार में अन्तिम रूप से निहित होगा।

सुरेन्द्र कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत लण्डौरा।

गोपाल सिंह चौहान,
प्रशासक,
नगर पंचायत लण्डौरा।

कार्यालय नगर निगम, ऋषिकेश

सूचना/विज्ञप्ति

06 मार्च, 2024 ई0

पत्रांक 4037 / (11)स्वा0अनु0/डे0प0उपविधि-2024 / 2023-24-नगर निगम अधिनियम 1959 के अध्याय 16 में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में अधिनियम की धारा 541 एवं धारा 453 (अध्याय XV1-Regulation of Markets, Slaughtering houses, certain trades and acts etc) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि-2024 प्राख्यापित की जानी है, जिसका प्रारूप निम्नवत् है-

यदि किसी भी संघटन/संस्था अथवा हितबद्ध को निम्न में किसी भी प्रकार का सुझाव/संसोधन/आपत्ति/दावे किये जाने की अपेक्षा हो तो, इस विज्ञप्ति प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित रूप में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में हार्ड कॉपी अथवा ईमेल-npprishikesh@gmail.com पर सुसंगत अभिलेख मय सुझाव प्रेषित किये जा सकते हैं। तदोपरान्त प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति/दावे पर विचार नहीं किया जायेगा।

- 1- संक्षिप्त नाम : 1. नाम यह उपविधि नगर निगम, ऋषिकेश डेरी/डेरी पशु उपविधि, 2024 कहलायेगी।
2. यह उपविधि राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- 2- परिभाषाएं : (क) "डेरी पशु" से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस भैंसा एवं उनकी संतति से है।
(ख) "दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारु पशुओं को रखा जाता है।
(ग) "पशुचिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से है।
(घ) "व्यावसायिक डेरी परिसर" से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहाँ 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को रखा गया हो से है।
(ङ) "गौशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलाभकारी गौवश की देख-रेख के लिए स्थापित की गई हो।
(च) अलाभकार पशु से तात्पर्य अनुत्पादक वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस-प्रशासन/नगर निकाय द्वारा गोतस्करों अथवा पशु क्रूरता के प्रकरण में जब्त किये गये केस प्रापटी गौवश से है।
- 3- कोई भी व्यक्ति नगर निगम, ऋषिकेश की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी) के लिये जारी की गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।
- 4- अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध :-
(क) नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्रारूप-1 के अनुरूप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा।

(ग) व्यावसायिक डेरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद से नियमानुसार सीटीओओ (Conset to operate) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना आवश्यक होगा।

(घ) नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप-2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरान्त आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(ङ) नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षक दल की प्रारूप-02 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेरी परिसर को अनुज्ञा प्रदान किये जाने के क्रम में निर्णय लेंगे। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्त की स्थिति में व्यावसायिक डेरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए प्रारूप-3 के अनुरूप अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा।

(च) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा।

(छ) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा स्वयं के डेरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न किये जाने पर रु० 500/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

(ज) नगर निगम ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा-457 एवं धारा-451(3) के अनुरूप अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/- प्रति अपराध तक हो सकेगी।

(झ) नगर निगम, ऋषिकेश द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल 01(एक) वर्ष हेतु मान्य होगा।

(ञ) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्ता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी।

(ट) नगर निगम, ऋषिकेश क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक डेरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451(3) के अनुरूप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रु० 25,000/- तक हो सकेगा।

(ठ) डेरी पालन के लिए समय-समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग द्वारा प्राप्त सभी जरूरी अनुमतियाँ प्राप्त करने की जिम्मेदारी

अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन के साथ सलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग/विभाग से अनुज्ञाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

5-अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण :-

अनुज्ञाप्ति के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञाप्ति धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञाप्ति के समाप्त होने के 15 दिन पहले करना अनिवार्य होगा।

अनुज्ञाप्ति समाप्ति के उपरान्त संचालन पर नियम 4(ट) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

6- (क) इन उपविधि के तहत अनुज्ञाप्ति के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार ₹0 500/- प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में ₹0 300/- प्रतिपशु निर्धारित है।

(ख) उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन/गौशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7- उक्त उपविधि के तहत जारी की गयी हर अनुज्ञाप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होनी अर्थात् :-

(क) प्रत्येक दुग्धशाला के फर्स को पूरी तरह से सुरक्षा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आवागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो।

(ख) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे-तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) डेरी स्वामी को अपनी डेरी से उपलब्ध गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञाप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा। व गोबर को सीवर अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी कम्पोस्ट/गोबर उत्पाद बनाने वाले उपक्रम को दिया जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही मान्य होगा। गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(घ) अनुज्ञाप्तिधारी, अनुज्ञाप्ति अधिकारी को किसी भी संक्रमण रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने संघ/राज्य पशुचिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा।

8- दुग्धशाला के सभी पशुओं को माईकोचिप लगवाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की संतति का रिकार्ड समस्त डेरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।

9- किसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़कों पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर ₹0 2000/- प्रतिपशु प्रतिदिन/उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

- 10.— लेखाजोखा (रिकॉर्ड) रखना— व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजिका में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा :—
- (क) निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण।
 - (ख) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण।
 - (ग) पशुओं के टीकाकरण/टोक्साईड का विवरण।
 - (घ) कृमिरोधी दवापान का विवरण।
 - (ङ) पशुओं का गर्भाधान/नस्ल का विवरण।
 - (च) पशुओं के कय-विकय का विवरण।
- 11.— कोई भी डेरी स्वामी अनुज्ञप्ति अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, डेरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकता।
- 12.— उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रद्द की गयी अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण को पुनर्जीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम ऋषिकेश के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञप्ति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दो बार निरस्त की गयी किसी अनुज्ञप्ति को किसी भी दशा में पुनर्जीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी।
- 13.— यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निरस्तारित किया जाता है तो उसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम, ऋषिकेश के कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना हो।

ह0 (अस्पष्ट)

नगर आयुक्त,

नगर निगम ऋषिकेश।

कार्यालय नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद हरिद्वार

विज्ञप्ति

02 अप्रैल, 2024 ई0

पत्रांक 12/न0प0ल0/2024-25—नगर पंचायत, लण्डौरा जनपद हरिद्वार द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश की धारा 298 (2) लिस्ट (जे0) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत लण्डौरा जिला—हरिद्वार द्वारा निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण एवं नियन्त्रण के लिए “ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि-2022” बनायी गयी है, जो नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-301 उपनियम-(1) के अन्तर्गत जन सामान्य अथवा जिस पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है, उनसे आपत्तियां एवं सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लण्डौरा जनपद—हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेंगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियां एवं सुझावों पर विचार नहीं होगा।

ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि 2023

1. परिभाषाएं —

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा जनपद हरिद्वार के “ठेकेदारी पंजीकरण एवं नियन्त्रण उपविधि-2022” कहलायेगी, जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू एवं प्रभावी होगी।
- (2) निकाय—का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा जिला—हरिद्वार से है।
- (3) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष/सभासदों अथवा प्रशासक से है।
- (4) अधिनियम— अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) संशोधन एवं उपान्तरण आदेश 2002 से हैं।
- (5) अध्यक्ष— का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा जिला—हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष अथवा प्रशासक से है।
- (6) ठेकेदार—का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो नगर पंचायत लण्डौरा जिला—हरिद्वार में समस्त निर्माण कार्य, पुनर्निर्माण, सामग्री आपूर्ति एवं अन्य कार्य जो संविदा के अन्तर्गत आते हो, को करने का इच्छुक व्यक्ति/फर्म हो।
- (7) श्रेणी— का तात्पर्य ठेकेदार की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से है।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया:—

नगर पंचायत लण्डौरा जनपद हरिद्वार के निर्माण कार्य सड़क/नाली/नाला/पुस्ता/अन्य निर्माण एवं भवन के निर्माण कार्यों के सम्पादन तथा सामग्री आपूर्ति हेतु ठेकेदार की तीन श्रेणियां होगी। इच्छुक व्यक्ति प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी में निम्न शर्तों/औपचारिकताओं को पूर्ण कर अपना पंजीकरण करा सकता है:—

- (1) वह भारत का नागरिक हो तथा नगर पंचायत लण्डौरा जिला—हरिद्वार सीमान्तर्गत या जनपद हरिद्वार में कम से कम 5 वर्ष से निवास करता हो, अथवा उत्तराखण्ड राज्य का निवासी हो, का प्रमाण—पत्र, दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित देनी होगी।
- (2) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त अद्यतन चरित्र प्रमाण—पत्र।

- (3) जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण-पत्र (श्रेणीवार हैसियत सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है)।
- | | |
|--------------------------|-----------|
| अ- प्रथम श्रेणी के लिए | 15.00 लाख |
| ब- द्वितीय श्रेणी के लिए | 10.00 लाख |
| स- तृतीय श्रेणी के लिए | 05.00 लाख |
- (4) प्रथम श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद, जल संस्थान एवं जिला पंचायत आदि विभागों में कम से कम सड़क/नाली/नाला आदि एवं भवन निर्माण का 05 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 50.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने होंगे। इसके अतिरिक्त स्वयं का तकनीकी अभियन्ता एवं टी0एण्ड0पी0 (मिक्सचर मशीन/वाईबरेटर/जे0सी0बी0/रोड रोलर/प्रिमीक्सिंग मशीन) आदि होने आवश्यक होंगे। अनुभव प्रमाण-पत्र अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
- (5) द्वितीय श्रेणी में पंजीकरण कराने हेतु उपरोक्त विभागों में कम से कम 5 वर्ष कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र एवं एक वित्तीय वर्ष में 25.00 लाख के अनुबन्ध (बाण्ड) पत्र देने अनिवार्य होंगे (अनुभव प्रमाण-पत्र उपरोक्तानुसार जारी ही मान्य होगा)।
- (6) तृतीय श्रेणी में पंजीकरण हेतु उत्तराखण्ड सरकार/भारत सरकार के किसी भी विभाग तथा प्रथम श्रेणी के ठेकेदार द्वारा जिसके साथ कम से कम दो वर्ष का कार्य किया हो, का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (7) प्रत्येक ठेकेदार, आयकर एवं जी0एस0टी0 विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, तथा आयकर एवं जी0एस0टी0 का पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- (8) नगर पंचायत लण्डौरा जनपद-हरिद्वार में उक्तानुसार ठेकेदारी पंजीकरण का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद-हरिद्वार में निहित होगा।

3. जमानत-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार स्थायी जमानत राशि राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC)/किसान विकास पत्र /एफ0डी0आर0 के रूप में अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद-हरिद्वार के पदनाम से बन्धक कर आवेदन पत्र के साथ देनी होगी।

अ- प्रथम श्रेणी के लिए	50,000.00
ब- द्वितीय श्रेणी के लिए	25,000.00
स- तृतीय श्रेणी के लिए	15,000.00

4. पंजीकरण शुल्क:-

ठेकेदार को निम्न श्रेणी के अनुसार पंजीकरण शुल्क की धनराशि नगद रूप में नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद-हरिद्वार के कोष में जमा करनी होगी।

अ- प्रथम श्रेणी के लिए	15,000.00
ब- द्वितीय श्रेणी के लिए	10,000.00
स- तृतीय श्रेणी के लिए	5,000.00

5. पंजीकरण की अवधि:-

प्रत्येक वर्ष में मात्र माह 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ठेकेदारों के पंजीकरण किये जायेंगे। पंजीकरण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप रू0 500.00 नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद-हरिद्वार कोष में जमा कर क्रय करना होगा तथा पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में ही मान्य होगा, जो अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6. नवीनीकरण की प्रक्रिया:—

ठेकेदारों को प्रत्येक 01 वर्ष के बाद में निम्न श्रेणी के अनुसार अपने पंजीकरण का नवीनीकरण कराना होगा:—

- (1) नवीनीकरण प्रत्येक 01 वर्ष के बाद में 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक ही होगा।
- (2) नवीनीकरण से पूर्व प्रत्येक ठेकेदार को निर्धारित नवीनीकरण आवेदन पत्र के लागत रु0 250.00 निकाय कोष में जमा कराकर प्राप्त करना होगा, नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ विगत वर्ष में किये गये निर्माण कार्यों का विवरण देना होगा।
- (3) नवीनीकरण शुल्क निम्न श्रेणी के अनुसार नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद—हरिद्वार के कोष में जमा कराने तथा विगत वर्ष में किये गये कार्यों के विवरण पर नगर पंचायत लण्डौरा जिला—हरिद्वार के अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी:—

अ— प्रथम श्रेणी के लिए	10,000.00
ब— द्वितीय श्रेणी के लिए	7000.00
स— तृतीय श्रेणी के लिए	5000.00
- (4) अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी ठेकेदार के पंजीकरण के नवीनीकरण को उसके त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए रोक सकता है।
- (5) नवीनीकरण के आवेदन पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष में चरित्र—पत्र (जो छः माह की अवधि के अन्दर का हो) तथा नवीनतम हैसियत प्रमाण—पत्र/नवीनीकरण के समय यदि हैसियत यथावत् हो तो उसके लिये शपथ—पत्र देना होगा।

7. निर्माण के सम्पादन के सीमा:—

प्रत्येक श्रेणी के ठेकेदारों को निम्नानुसार कार्य के टेण्डर लेने का अधिकार होगा:—

- (1) प्रथम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार सभी प्रकार (असीमित धनराशि के) निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होंगे।
- (2) द्वितीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु0 25.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होंगे।
- (3) तृतीय श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार रु 15.00 लाख तक के निर्माण कार्यों के टेण्डर लेने के अधिकार होंगे।

8. निविदा प्रपत्र की लागत:—

निविदा प्रपत्र का मूल्य निर्माण कार्य के व्यय अनुमान (आगणन) धनराशि पर निम्न प्रकार निर्धारित किया जायेगा।

कार्यों की लागत
(रूपये में)

निविदा प्रपत्र मूल्य
(रूपये में)

1— रु0 1,00,000 तक	100.00
2— रु0 1,00,001 से रु0 2,00,000 तक	200.00
3— रु0 2,00,001 से रु0 3,00,000 तक	300.00
4— रु0 3,00,001 से रु0 4,00,000 तक	400.00
5— रु0 4,00,001 से रु0 5,00,000 तक	500.00
6— रु0 5,00,001 से रु0 6,00,000 तक	600.00
7— रु0 6,00,001 से रु0 7,00,000 तक	700.00
8— रु0 7,00,001 से अधिक के कार्यों के निविदा प्रपत्र का मूल्य प्रति 10000.00 पर रु0 10.00 के हिसाब से गणना कर निर्धारित कर किया जायेगा।	

प्रत्येक ठेकेदार विभागीय कार्यों का ठेका लेने के लिए नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद—हरिद्वार से निविदा प्रपत्र नकद मूल्य देकर खरीदेगा। निविदा प्रपत्र का मूल्य, जमा होने के पश्चात् किसी भी स्थिति में न तो वापिस होगा और न ही आगामी निविदाओं में समायोजित होगा। निविदा प्रपत्र नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद—हरिद्वार के पंजीकृत ठेकेदारों को ही विक्रय किये जायेंगे।

9. निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार:-

ठेकेदार द्वारा डाली गई निविदाओं में न्यूनतम निविदाओं को स्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष का होगा, किन्तु यदि न्यूनतम निविदा आंकलन से ठेकेदार के 10 प्रतिशत लाभ घटाने के बाद भी कम है, तो इस पर तकनीकी राय लेकर निर्णय लिया जायेगा। निविदा डालने के 6 माह तक उन्ही दरों पर कार्य करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा। यदि ठेकेदार को निविदा डालने की तिथि से 6 माह बाद कार्यादेश दिया जाता है तो ठेकेदार उन दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होगा। बिना कोई कारण बताये किसी एक निविदा अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद-हरिद्वार में निहित होगा।

10. धरोहर राशि:-

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ती (प्रीक्यूरमेंट पॉलिसी) नियम 2017 में किये गये प्राविधान के अनुसार स्थायी जमानत/धरोहर धनराशि निविदा के साथ राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र एवं एफ0डी0आर0 के रूप में जो नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद-हरिद्वार के पदनाम से बन्धक हो, देनी होगी।

11. ठेकेदार का भुगतान:-

कार्य समाप्ति के पश्चात ठेकेदार का कार्य सन्तोषजनक होने पर नियमानुसार बिल की धनराशि से समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार आयकर, जी0एस0टी एवं जमानत आदि देय करो की राशि काटने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा, जमानत राशि का भुगतान 1 वर्ष बाद कार्य सन्तोषजनक होने पर अवर अभियन्ता की संस्तुति पर किया जायेगा।

12. कार्य पूर्ण करने की अवधि:-

प्रत्येक पंजीकृत ठेकेदार का यह दायित्व होगा कि निविदा फार्म में दी गयी कार्य अवधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करें, यदि समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा उसकी कार्य अवधि बढ़ाने हेतु ठेकेदार द्वारा समय समाप्ति से पूर्व औचित्य स्पष्ट करते हुए प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने की स्वीकृति एक बार प्रदान की जा सकती है, यदि ऐसा नहीं किया गया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी अवधि के लिए अवशेष कार्य पर 5 प्रतिशत की दर से अन्तिम बिल की धनराशि से अर्थदण्ड के रूप कटौती कर ली जायेगी, यदि इस धनराशि की प्रतिपूर्ति बिल की धनराशि से नहीं हो पाने की स्थिति में दण्ड की अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व के बकाया की भौति सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

13. पंजीकरण का निरस्तीकरण:-

यदि ठेकेदार निर्धारित तिथि तक कार्य प्रारम्भ नहीं करता है अथवा कार्य सन्तोषजनक गुणवत्ता के अनुसार स्वीकृत स्टीमेंट व साईट प्लान के अनुरूप नहीं करता है अथवा नगर पंचायत के किसी कार्मिक के साथ अव्यवहार एवं अभद्रता करता है या किसी प्रकार का

अनुचित दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष/प्रशासक द्वारा ठेकेदार के पंजीकरण को निरस्त कर ऐसे ठेकेदार को ब्लैक लिस्टड किया सकता है। पंजीकरण निरस्तीकरण के फलस्वरूप ठेकेदार का ठेका स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और ठेकेदार द्वारा किये गये कार्यों का भुगतान नगर पंचायत को हुई हानि के समायोजन के पश्चात किया जायेगा।

14. जमानत जब्त करने का अधिकार:—

यदि ठेकेदार नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद—हरिद्वार के उपनियमों या ठेके की शर्तों अनुबन्ध—पत्र का उल्लंघन कर नगर पंचायत को कोई हानि पहुँचाता है या उपविधि के नियम 13 के विपरित कार्य करता है तो ऐसी दशा में अवर अभियन्ता एवं अधिशासी अधिकारी की जांच आख्या/संस्तुति पर अध्यक्ष को ठेकेदार की जमानत जब्त करने का अधिकार होगा। यदि इसके बाद भी नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद—हरिद्वार की क्षतिपूर्ति न हो सकें तो शेष राशि ठेकेदार की सम्पत्ति से भू—राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

सुरेन्द्र कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत लण्डौरा,
जनपद हरिद्वार।

गोपाल सिंह चौहान,
प्रशासक,
नगर पंचायत लण्डौरा,
जनपद हरिद्वार।

कार्यालय नगर पंचायत लण्डौरा जिला हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

02 अप्रैल, 2024 ई0

पत्रांक 13/न0प0ल0/2024-25-नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार सीमान्तर्गत उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-298 की उपधारा-2 खण्ड-(ज) का (च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-128 के तहत विज्ञापन पटों को नियन्त्रित करने एवं विज्ञापन शुल्क वसूली के उद्देश्य से "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2023" नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार द्वारा बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार को प्रेषित की जा सकेंगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2023

1. संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ-

क-यह उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार "विज्ञापन नियन्त्रण एवं शुल्क वसूली उपविधि-2023" कहलायेगी।

ख- यह उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार की सीमा में प्रवृत्त होगी।

ग- यह उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार द्वारा प्रख्यापित अथवा शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ-

किसी विषय या प्रसंग से कोई वाद प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में-

(क) "नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार से हैं।

(ख) "सीमा" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार की सीमाओं से हैं।

(ग) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लण्डौरा से हैं।

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) "बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार के निर्वाचित अध्यक्ष/सदस्यो अथवा प्रशासक से है।

(च) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम-1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त)

संशोधन एवं उपान्तण आदेश-2002 से है।

(छ) "विज्ञापन" का तात्पर्य नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार, लण्डौरा की सीमान्तर्गत प्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापन पट, होर्डिंग, यूनियोपल, बोर्ड एवं अन्य प्रचार सामग्री से हैं।

3. विज्ञापन पट्ट (होर्डिंग/यूनियोपल) स्थल के अनुसार सड़कों के समानान्तर लगाये जायेंगे, छोटे यूनियोपल पेन्टेड सर्फेस से 2.5 मीटर की दूरी पर 5 × 3 फिट एवं सड़क से 8 फुट ऊंचाई पर होंगे। मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रान्तीय मार्ग पर यूनियोपल के बीच कम से कम 50 मीटर की दूरी होगी।

4. यूनियोपल/होर्डिंग सड़क से समानान्तर लगाये जायेंगे, जिससे यातायात सुगमता से संचालित हो सके एवं होर्डिंग के कारण सड़क दुर्घटना न होने के उद्देश्य से जहां आवश्यकता होगी, वहां से इन यूनियोपल/होर्डिंग को 25 डिग्री के कोण से कम भी किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सड़क के समानान्तर लगाने के निर्देश भी दिये जा सकते हैं।

5. होर्डिंग/यूनियोपल का अधिकतम साईज 20×10 फिट होगा।

6. होर्डिंग दो लोहे/पाईप के स्तम्भ एवं यूनियोपल लोहे/पाईप के स्तम्भ की संरचना मजबूत व फ़ेम के आकार की होनी चाहिये जिससे आंधी, तूफान आदि से न गिर पायेगी। अतः इनकी संरचना के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7. मुख्य चौराहों व मोड़ों पर 25-25 मीटर दूरी तक होर्डिंग/यूनिपोल नहीं लगाये जायेंगे।
8. प्रत्येक होर्डिंग के सम्बन्ध में सड़कवार एक यूनीक कोड नम्बर तय किया जायेगा जिसके विवरण में उस होर्डिंग का आकार प्रकार होर्डिंग विज्ञापन एजेन्सी का नाम लगाने का स्थान, स्वीकृति तिथि, रसीद नम्बर व उस होर्डिंग का सड़क से एंगल भी वर्णित किया जायेगा।
9. नगर पंचायत सीमा में विज्ञापन पट्ट लगाये जाने हेतु विज्ञापन एजेन्सियों द्वारा प्रत्येक वर्ष विज्ञापन पट्ट लगाने से पूर्व नगर पालिका कार्यालय में पंजीकरण कराया जायेगा। इस प्रकार केवल पंजीकृत एजेन्सियों को ही विज्ञापन पट्ट लगाये जाने की अनुमति दी जायेगी। पंजीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 जनवरी से 31 मार्च तक किया जायेगा।
10. नगर पंचायत लण्ढौरा, जिला हरिद्वार में विज्ञापन एजेन्सियों को पंजीकृत किये जाने हेतु प्रथम बार पंजीकरण राशि रु0 20,000.00 पालिका कोष में जमा करानी होगी, तत्पश्चात् पंजीकृत एजेन्सी अगले प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु रु0 5,000.00 की धनराशि नवीनीकरण के रूप में नगर पालिका कोष में जमा करनी होगी।
11. नगर पंचायत सीमा में लगाये जाने वाले विज्ञापन पट्टों एवं अन्य प्रचार सामग्री आदि का न्यूनतम निर्धारित शुल्क मे प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। विज्ञापन शुल्क हेतु निर्धारित दरें निम्नवत होगी अथवा निर्धारित दरों के आधार पर विज्ञापन का ठेका सार्वजनिक नीलामी द्वारा भी दिया जा संकता है।

विज्ञापन शुल्क की दरें

क्र० सं०	विवरण	दर (रु० में)	यूनिट
1.	एन0एच0/प्रान्तीय मार्गों के किनारे स्थित विज्ञापन/होर्डिंग्स (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हों)	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
2.	नगर पालिका के मुख्य मार्ग एवं आन्तरिक मोहल्लों के सार्वजनिक स्थलों पर लगाने वाले विज्ञापन, होर्डिंग्स आदि (जो स्ट्रक्चर खड़ा कर लगाये गये हों)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
3.	इन्डीकेटर बोर्ड (आई0एच0पी0) (3×2 फिट) पोल क्योक्स 2 (3×2 फिट)	1000.00	प्रति पोल/प्रतिवर्ष
4.	निजी भवनों पर लगे ग्लोसाइन बोर्ड	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
5.	निजी भवनों पर लगे विज्ञापन/होर्डिंग्स	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
6.	फ्लाईओवर कॉलम (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
7.	पुल/पुल के कॉलम पर (10×20 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
8.	प्रोटेक्शन स्क्रीम/नाला कवर्ट (8×15 फिट)	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
9.	निजी बस/पब्लिक बस एडवर्टाइजिंग 4×15 फिट (दोनों साइड) बैक साइड 3×3 फिट	20.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
10.	डिलवरी वाहन/सर्विस वाहन/टैक्सी	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
11.	डिमोस्टेशन वाहन	200.00	प्रतिदिन
12.	बिल्डिंग रैंप 80×20 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
13.	पार्किंग (दो डिसप्ले बोर्ड) 3×5 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
14.	ट्री-गार्ड 1.5×1.5 फिट	25.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
15.	ट्रैफिक बैरीकैटिंग	200.00	प्रति बैरीकैटिंग
16.	ट्रैफिक पोस्ट/पुलिस बूथ के ऊपर कियोस्क 2×3 फिट	160.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
17.	सार्वजनिक शौचालय दो साइड वाल 8×10 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
18.	रोड डिवाइडर/सड़क के किनारे यूनिपोल 20×10 लगाये जाने पर	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
19.	गैन्ट्री (स्वागत द्वार) रोड की सम्पूर्ण छोड़ने के पश्चात लगाये जाने	150.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष

	पर		
20.	लाउडस्पीकर द्वारा प्रचार अतिरिक्त दिन के लिए	200.00	प्रतिदिन प्रतिदिन
21.	इवेन्ट एण्ड एक्जीबिशन/मेला एक दिन का अतिरिक्त दिन के लिए	5,000.00 / 500.0	प्रतिदिन
22.	स्थानीय केबल नेटवर्क पर प्रसारित विज्ञापनों पर शुल्क	10,000.00	वार्षिक
23.	बस शैल्टर 26×5 फिट	50.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
24.	बिजली/टेलीफोन के खम्बों पर 3×2 फिट	100.00	प्रति वर्गफिट/प्रतिवर्ष
25.	बैलून (गुब्बारा) पर विज्ञापन	100.00	प्रति बैलून/प्रतिवर्ष

12. नगर पंचायत द्वारा विज्ञापन शुल्क का ठेका 3 वर्ष के लिए दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष ठेके की धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
13. निम्नलिखित क्षेत्रों में विज्ञापन पट्ट प्रतिबन्धित रहेगा—
 1. धार्मिक स्थल।
 2. नगर पालिका कार्यालय के आसपास।
14. नगर पंचायत सीमान्तर्गत सम्प्रदर्शित किये जाने वाले ग्लोसाईन/साईन बोर्ड जो दुकानों के नाम के साथ या स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु के विषय, गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जनसाधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता हो, के विज्ञापनकर्ता से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी का कार्य निविदा के माध्यम से ठेके पर किया जायेगा।
15. विज्ञापन शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल तक पूर्णतः अग्रिम (100 प्रतिशत) जमा किया जायेगा। एक माह तक शुल्क जमा न होने पर सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा तथा बकाया विज्ञापन शुल्क की वसूली भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।
16. इन्डिकेटर बोर्ड या अन्य बोर्ड जहां दोनों ओर विज्ञापन लिखे हों वहाँ निर्धारित शुल्क दुगुने हो जायेंगे, इन्डिकेटर बोर्ड का साईज 5 × 3 फीट का होगा।
17. विज्ञापन शुल्क बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक या नकद के रूप में ही जमा किया जायेगा।
18. प्रत्येक तिराहों एवं चौराहों में जहां कि समय-समय पर विज्ञापन पट्ट एकदम रास्ते के किनारे से एक दूसरे के अगल-बगल से आने वाले वाहनों का एक दूसरे को देखने में कठिनाई होती है तथा यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, इन चौराहों एवं तिराहों में केन्द्र से चारों ओर पथों पर 25 मीटर तक विज्ञापन पट्ट लगाने में प्रतिबन्ध रहेगा।
19. पोल कियोस्क का साईज 2 × 3 फिट होगा।
20. सरकार द्वारा समय-समय पर प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे—शराब, तम्बाकू, धूम्रपान एवं अश्लील, जातिसूचक, धार्मिक भवनाओं को उत्तेजित करने वाले, पशु क्रूरता, हिंसात्मक, विध्वंसक उत्पाद, हथियारों से सम्बन्धित उत्पाद सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
21. किसी भी विज्ञापन एजेन्सी द्वारा यदि स्वीकृत पट्ट के इतर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
22. जनहित अथवा यातायात की दृष्टि से एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार यदि किसी स्वीकृत विज्ञापन पट्ट को हटाने की आवश्यकता होती है तो बिना किसी नोटिस के विज्ञापन पट्ट हटा दिया जायेगा, जिस पर कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।
23. यूनियन रोड कांग्रेस द्वारा रोड शाइन (आई0आर00सी0) 67-2001 में निर्धारित कलरों/मानकों का प्रयोग ही विज्ञापन पट्टों के लिए अनुमत्य होगा। विज्ञापन पट्टों में प्रयोग किये जाने वाले रंग एवं फोन्ट साईज ऑफिशियल ट्रैफिक साइन के समान एवं वाहन चालक को भ्रमित करने वाले नहीं होंगे।
24. विज्ञापन पट्ट/यूनिपोल का आवंटन विज्ञापन शुल्क के निर्धारित न्यूनतम धनराशि पर सीलबन्द निविदायें आमन्त्रित कर सर्वोच्च बोलीदाता को किया जायेगा।

25. रोड पटरी, निजी भवनों एवं भूमियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन अवैध रूप से लगाने पर विज्ञापन एजेन्सी, ठेकेदार एवं भवन स्वामी से रु0 25,000/- जुर्माना वसूल किया जायेगा एवं अवैध विज्ञापन पट्ट को तत्काल हटाते हुए विज्ञापन एजेन्सी का पंजीकरण एवं ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इस पर हाने वाले व्यय की वसूली विज्ञापन एजेन्सी एवं ठेकेदार से की जायेगी।
26. जनहित में नगर पालिका में पंजीकृत विज्ञापन एजेन्सियों को जो भी विज्ञापन पट्ट स्वीकृत किये जायें, उन पर सुन्दर, स्वच्छ, डोईवाला का स्लोगन प्रदर्शित किये जायें तथा यातायात की दृष्टि से पुलिस विभाग द्वारा लगाये जाने वाले विज्ञापन के लिए हार्डिंग्स/यूनीपोल में उनकी आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्थान दिया जायेगा।
27. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर बिना किसी नोटिस के एजेन्सी का पंजीकरण निरस्त करते हुए एजेन्सी को ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार बोर्ड में निहित होगा।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-299 (1) के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रु0 1000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रु0 250.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लण्डौरा, जिला हरिद्वार में अन्तिम रूप में निहित होगा।

सुरेन्द्र कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत लण्डौरा।

गोपाल सिंह चौहान,
प्रशासक,
नगर पंचायत लण्डौरा।

कार्यालय नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद-हरिद्वार

सार्वजनिक सूचना

23 दिसम्बर, 2023 ई0

पत्रांक 1685/न0प0ल0/उपविधि/2022-23-नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद हरिद्वार, सीमान्तर्गत उ0प्र0नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की उपधारा-2 खण्ड-(ज) (च) के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत लण्डौरा, जनपद हरिद्वार द्वारा नगर पालिका अधिनियम 1916 की उपधारा-1 (ii)(iii) अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपनियम-2022" बनाई जाती है जो नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पडने वाला हो नगर पंचायत लण्डौरा बोर्ड द्वारा दिनांक 21.03.2023 को स्वीकृति उपरान्त प्रस्ताव सं0 12 दिनांक 21.03.2023 के तहत उपविधि का प्रकाशन आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

विधिमान्य समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन अर्थात् एक माह के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत लण्डौरा को प्रेषित की जा सकेगी। बाद मियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख:

- (1) ये उप-नियम नगर पंचायत लण्डौरा, "फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय उपविधि- 2023" कहलायेगा।
- (2) ये उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।

2. ये उपविधि नगर पंचायत लण्डौरा की सीमाओं के भीतर लागू होगी।

1. प्रसंग:

देश का विगत अनुभव दिखाता है कि सेप्टिक टैंक और अवधीय जो डिजाइन से सम्बन्धित है स्थानीय संस्थओं द्वारा वर्षों से अनुपालन किया जा रहा है वह इस समय सोचनीय प्रबंधन में है। यह महत्वपूर्ण है कि एक उचित वैज्ञानिक प्रबंध इन मामलों में/सेप्टेज का अनुपालन किया जाता है, ताकि सेप्टेज/फीकल स्लज सेप्टिक टैंक, गड्ढे, शौचालय, पर्यावरण नदी एवं अन्य पानी के स्रोत को प्रदूषित न करें।

1-1 राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंधकीय नीति:

इस पहलू को संबोधित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने एक फार्मूला प्रकाशित किया है "राष्ट्रीय फीकल स्लज एवं सेप्टेज प्रबंध नीति" वर्ष 2017 में इस दृष्टिकोण के साथ कि समस्त भारतीय शहर और नगर पूर्ण रूप से स्वच्छ, तंदुरुस्त और जीवित बने रहे और अच्छी सफाई भी बनी रहे। जिसके साथ उन्नत स्थल स्वच्छता सेवा साथ ही फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधक, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य स्तर को अधिकतम प्राप्त किया जा सके और स्वच्छ वातावरण बना रहें, जिसमें गरीबों पर ध्यान केंद्रित किया जायें।

शहरी नीति का मुख्य उद्देश्य एक प्रसन्न, प्राथमिकता और दिशा निर्धारित करनी है, ताकि राष्ट्रव्यापी अनुपालन इन सेवाओं का समस्त क्षेत्र में हो सके। जैसे कि सुरक्षित और स्थायी सफाई व्यवस्था। एक वास्तविकता प्रत्येक परिवार के लिए गलियों में नगर और शहरों में बनी रह सके।

1.2 उत्तराखण्ड में सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकाल:

नगर पंचायत लण्ढौरा में "उचित प्रबन्ध योजना या प्रोटोकाल सीवरेज की निकासी जो की सामान्य सैप्टिक टैंक या बायो डाइजेस्टर में एकत्रित की जाती है, नियमति रूप से खाली की जाये और उसका उचित प्रबन्ध किया जाये और उसके परिणामस्वरूप खाद जो प्रकार से एकत्रित हुई है वह निःशुल्क किसानों में वितरित की जाये। जल आपूर्ति एवं सीवरेज अधिनियम 1975/ नगर पालिका अधिनियम 1916 शहरी विकास निदेशालय जो कि उत्तराखण्ड जल संस्थान के समन्वय से होगा। इसके लिए प्रोटोकाल सैप्टेज प्रबंध तैयार किया है जो कि सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सूचित किया गया है। ताकि इसका अनुपालन शहरों/नगरों में हो सके-आदेश सं0-597/ए(2)- शा0वि0-2017-50(सा0)/16, दिनांक 22.05.2017 इस नियमावली का सैप्टेज प्रबंध प्रोटोकाल लण्ढौरा शहर को दिग्दर्शन कराना है ताकि वैज्ञानिक सैप्टेज प्रबंध बना रहे। जो कि एकत्रीकरण, परिवहन, इलाज, सैप्टेज/फीकल स्लज का निस्तारण और पुनः प्रयोग हो सके। स्पष्ट दिशा-निर्देश इस प्रोटोकाल के है कि राज्य के शहरी क्षेत्र के अधिकारियों को इस योग्य बनाया जाये कि वे अपने सैप्टेज प्रबंध का उच्चीकरण कर सके और परियोजना के पूर्ण विनियोग की पहचान कर सके। इस प्रोटोकाल के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए और आंतरिक विभागीय समन्वय हेतु एक सैप्टेज मैनेजमेंट सेल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत, जल निगम (पेजल निगम), जल संस्थान, राजस्व विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/स्वास्थ्य विभाग/तकनीकी विशेषज्ञ होंगे।

2. नगरीय उपकानून/फीकल स्लज एवं सैप्टेज का नियमितकरण:

सैप्टेज प्रबंध प्रोटोकाल के अनुसार जो कि शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 597/IV(2)- शा0 वि0-2017-50 (सा0)/16 दिनांक 22-05-2017 एवं समस्त लागू होने योग्य नियम कानून या नियमावली नगर पंचायत लण्ढौरा के नियमित ढांचा रिक्त करने, एकत्र करने परिवहन और सैप्टेज/फीकल स्लज के परिवहन एवं निस्तारण हेतु जैसा कि संदर्भित है। फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंध उपनियम के अंतर्गत। जो कि यहां स्वीकृत किया जाता है और इसके अनुपालन हेतु नगर पंचायत लण्ढौरा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सूचित किया जाता है।

3. उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र:

नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र निम्नवत् है:

1. निर्माण, सैप्टिक टैंक के दैनिक रखरखाव और शौचालय के गढ़े, परिवहन, ट्रीटमेंट और सुरक्षित रखरखाव, जोकि स्लज और सैप्टेज से सम्बन्धित है।

2. क्षेत्र के मालिक द्वारा जो कार्य किया जाना है, उसको निर्देश करना जोकि सैप्टिक टैंक और शौचालय

के गढ़े से और फीकल स्लज एवं सैप्टेज परिवहन से सम्बन्धित है, ताकि वे इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।।

3. उचित निरीक्षण प्रदान करना और मशीनरी का अनुपालन।

4. लागत वसूली सुनिश्चित करना जोकि स्लज के और सैप्टेज प्रबंध के उचित प्रबंध हेतु है।

5. निजी और गैर सरकारी क्षेत्र फीकल स्लज एवं सैप्टेज प्रबंध में सहभागी की सुविधा देना।

4. एकत्रीकरण, परिवहन, ट्रीटमेंट और सैप्टेज के खुर्द-बुर्द हेतु एक प्रक्रिया अपनाना:

4.1 सैप्टिक टैंक और सैप्टेज/फीकल स्लज एकत्रीकरण को रिक्त करना:

अ. सैप्टिक टैंक की तली में जो जमा हो गया है, उसको कटाना और एक बार उसको ठीक करना, जो कि गहराई में पहुंच गया है या बार बार के आखिर में जो डिजाइन है, जो कोई भी पहले आये।

ब. जबकि स्लज को सुखाना और सैप्टिक टैंक में जो द्रव्य है, उसको भी सुखाना। मैकेनिकल वेक्यूमटैंकर का भी उपयोग नगरीय प्रबन्धन द्वारा सैप्टिक टैंक को खाली करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए।

स. सुरक्षा प्रक्रिया जैसा कि सेप्टेज प्रबंध प्रोटोकॉल में वर्णित है, को सेप्टिक टैंक के खाली करते समय और सेप्टेज के परिवहन के समय इस नियम का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

4.2 सेप्टेज/फीकल स्लज का परिवहन:

1 फीकल स्लज और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर वाहन के सुरक्षित परिवहन हेतु उत्तरदायी होंगे। जैसा कि समय-समय पर एस0एम0सी0 द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे।

2 फीकल स्लज और सेप्टेज परिवहन निर्माता यह आश्वासन देंगे कि:

अ. पंजीकृत संग्रह वाहन जिसके अंतर्गत समस्त उपकरण जो कि परिवहन जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु इस्तेमाल किये जायेंगे। जो कि छिद्र निरोधी होगा और बंद रहेगा और लागू किये जाने योग्य मानदंड का अनुपालन करेंगे

ब. कोई भी टैंक और उपकरण जो फीकल स्लज और सेप्टेज हेतु उपयोग में लाया जायेगा वह

किसी अन्य वस्तु या द्रव्य को परिवहन हेतु इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

4.3 सेप्टेज का निष्पादन और ट्रीटमेंट:

राज्य सेप्टेज मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के अनुसार नगर पंचायत लणढौरा की अपनी एक इकाई होगी। परन्तु इस निकाय में इकाई न होने के कारण सेप्टेज को निकाय से 25 कि0मी0 दूर अंतर्गत स्थित उत्तराखण्ड जल संस्थान के एस0टी0पी0 में परिवहन किया जायेगा, अन्यथा भविष्य हेतु एक अलग सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हेतु भी कार्य योजना तैयार कराने के प्रयास किये जायेंगे।

5. सुरक्षा उपाय:

1 उचित तकनीकी सयंत्र, सुरक्षा गियर (उपकरण) का प्रयोग करते हुए मल निस्तारण किया जाना चाहिए जैसा कि उत्तराखंड राज्य सेप्टेज प्रबंधक प्रोटोकॉल 2017 में वर्णित है। साथ ही फीकल स्लज एवं सेप्टेज ट्रांसपोर्टर यह आशान्वित करेंगे कि:

अ. समस्त मल निस्तारण कर्मचारी उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सेप्टी गेयर और यंत्र जिसके अंतर्गत कंधे की लंबाई तक पूरा कोटेड लियोप्रीन गलब्स, रबड बूट, चेहरे का मास्क और आंखों की सुरक्षा आदि समस्त उपकरण एकत्रिकरण क्षेत्र से पहले अपना लिया जाये इसके लिए जागरूकता भी की जायेगी। इसके अलावा प्रथम साहयता किट गैस का पता करने वाला लैंप और अग्निशामकयंत्र पल निस्तारण गाड़ी में रखे जायेंगे।

ब. समस्त मल निस्तारण कार्यकर्ताओं को सुरक्षा गियर और स्वास्थ्यवर्धक उपकरण की शिक्षा दी जानी चाहिए।

स. जब सेप्टिक टैंक और पिट लैट्रिन में काम चल रहा हो, धूम्रपान वर्जित रहेगा।

द. मल निस्तारण कार्यकर्ता सेप्टिक टैंक में और शौचालय गड्ढे में प्रवेश नहीं करेंगे और आच्छादित टैंक को हवा के लिए आना-जाना रखेंगे, जो कि इस कार्य को शुरू करने से पहले किया जाना आवश्यक है।

ल. बच्चों को टैंक के ढक्कन से दूर रखा जायेगा, एवं टैंक के स्कू और ताले से सुरक्षित रखा जाये। कर्मचारी सावधान रहेंगे कि जब मल निस्तारण प्रक्रिया के समय ढक्कन पर अत्यधिक भार न हो ताकि मेन हाल ढक्कन टूटने से बचा रहे।

6. सेप्टेज खाली करना और वाहन के पंजीकरण का परिवहन:

6.1 नगर पंचायत लणढौरा दर्ज करेगा और लाईसेंस निर्गत करेगा। निजी व्यवसायों के लिए जिनके पास मशीनीकरण खाली करना और परिवहन गाड़ी उपलब्ध हो। इस प्रकार का लाईसेंस निर्गत करने से पहले यह आशान्वित करेगा कि यह ट्रक उचित उपकरण और उचित सुरक्षा माप से सुसज्जित है। सेप्टेज ट्रांसपोर्टर और उसका पंजीकरण हेतु प्रार्थना -यंत्र

प्रस्तुत करेगा जोकि गाडियों के परिवहन हेतु होगा। ये निजी व्यक्ति को भी अपने इस कार्य से उत्साहित करेंगे, पंजीकरण प्रपत्र और परमिट परिशिष्ट -ए, 2 में संलग्न है।

6.2 कोई भी व्यक्ति या वाहन पंजीकृत सेप्रेज ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रयोग किया जायेगा, जो कि एकत्रीकरण परिवहन और सेप्रेज के प्रयोजन हेतु है। जब तक इसका पंजीकरण सेप्रेज ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल एस0एम0सी0 के साथ इन प्रोटोकॉलों में जब तक पंजीकृत नहीं है।

सारणी 1 पंजीकरण व्यय

अ. प्रारंभिक पंजीकरण	: ₹0 2,000.00 प्रति गाड़ी
ब. नवीनीकरण	: ₹0 1,500.00 प्रति गाड़ी
स. नाम परिवर्तन या स्वामित्व का परिवर्तन	: ₹0 1,000.00 प्रति गाड़ी
द. अन्य संशोधन आवश्यकतानुसार	: ₹ 1,000.00 प्रति गाड़ी

(समस्त लागत दर 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ेगा)

पंजीकरण व्यय जैसा कि सांकेतिक है नगर पंचायत लण्ढौरा बोर्ड द्वारा जो स्वीकृत है, उसमें अंतर आ सकता है।

7. उपभोक्ता लागत और इसका संचय:

7.1 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जो सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे जिसका भुगतान उपभोक्ता करेगा जैसा कि नगर पंचायत लण्ढौरा में फीकल स्लज और सेप्रेज उपनियम में समय-समय पर दर्शाया गया है जोकि सेप्टिक टैंक के भरने, शौचालय के गड्ढे, परिवहन और फीकल स्लज एवं सेप्रेज के उपाय हेतु है।

7.2 इस क्षेत्र के समस्त मालिक जिनके अपने क्षेत्र में निरर्थक पानी के निष्कासन की प्रणाली उपलब्ध है, जो कि नगर पंचायत लण्ढौरा कार्य एवं शिकायत हेतु प्रमाणित है और वे भी जो कि सीवर नेटवर्क से सम्बन्धित है, उनको उपभोक्ता के भुगतान से विमुक्त किया जाता है।

7.3 नगर पंचायत लण्ढौरा अपनी लागत संशोधित करेगा, जो कि समय-समय पर इससे सम्बन्धित है। ऐसी उपभोक्ता लागत जिसके अंतर्गत मल निस्तारण लागत परिवहन एवं फीकल स्लज और सेप्रेज के निष्कासन हेतु।

7.4 उपभोक्ता लागत क्षेत्र विशेष के स्वामी से एकत्र किये जाये, जो निम्नवत है।

अ. उपभोक्ता लागत प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप से सम्बन्धित भवन/सेप्टिक टैंक मालिक से नगर पंचायत द्वारा वसूल कर नगर पंचायत लण्ढौरा में जमा किया जायेगा।

ब - नगर पालिका किसी भी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है जिसके अंतर्गत फीकल स्लज और सेप्रेज परिवहन जो कि उपभोक्ता लागत से एकत्र की जायेगी। जो कि उस क्षेत्र विशेष का स्वामी है और सेप्टिक टैंक और शौचालय के गड्ढे से सम्बन्धित है।

स. उपभोक्ता लागत को सम्पत्ति कर में जोड़ा जायेगा या एक विशेष नगरीय पर्यावरण फीस या भुगतान जैसा कि कार्यक्रम के अंतर्गत होगा, करना होगा।

सारणी 2 उपभोक्ता लागत

नगर पंचायत में सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्ढे या किसी भी शिकायत के इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर कि सेप्टिक टैंक ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है तुरन्त नगर पंचायत से सूपरवाइजर को भेजकर जांच करवायेंगे। इसके अलावा नगर पंचायत में सेप्टिक टैंक का खाली कराने के आवेदन के आने पर नगर पंचायत द्वारा

जान्च कराई जायेगी कि सेप्टिक टैंक कितने क्षेत्रफल का और उसके खाली कराने में कितने सीवर टैंकर के चक्कर लगेंगे। तत्सदीक होने पर निम्न प्रकार शुल्क वसूला जायेगा।

क्र० स०	वर्ग	प्रति यात्रा / प्रति चक्कर लागत	विराम की अधिकतम अवधि जो कि सेप्टिक टैंक एवं शौचालय गड्डे के हेतु निर्धारित है।	मसिक दंड 1.5 की दर सामान्य लागत के लिए जोकि निर्धारित मल निस्तारण के अनुपालन हेतु होगा।
1.	टीनशेड वाला मकान	2000	कम से कम 2-3 वर्ष में एक बार	50
	कच्चा मकान	1000		
2.	अन्य समस्त मकान	2500	जब टैंक दो होते हैं 2/3 जो भी पहले भरा जाये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार जब टैंक का 2/3 भाग पहले भरा हो।	100
3.	दुकान	2000		125
4.	समस्त सरकारी/निजी कार्यालय	2000		250
5.	बैंक	2500		312
6.	सामुदायिक शौचालय/मुत्रालय	1500		500
7.	रेस्टोरेंट	2500		500
8.	होटल/गेस्ट हाउस 1-10 कमरे	2000		250
9.	होटल अतिथि गृह 11-20 कमरे	2500		250
10.	होटल अतिथि गृह 20 कमरे से ज्यादा	3000		500
11.	धर्मशाला 1-25 कमरे	2000		625
12.	धर्मशाला 15 कमरे से ज्यादा	3000		200
13.	3 स्टार होटल	3500		400
14.	5 स्टार होटल	4000		750
15.	सरकारी स्कूल/कालेज	1000		500
16.	निजी स्कूल/कालेज	2000		500
17.	2 व्हीलर व्हीकल शोरूम	1500		625
18.	4 व्हीलर वाहन शोरूम	2000		500
19.	होटल 0-20 कमरे	2500		500
20.	होटल 21 से 50 कमरे	3000		500
21.	होटल 50 कमरे से अधिक	3000		550
22.	विवाह हाल/बैंकट हाल	3000		750
23.	सरकारी हास्पिटल	2000		500
24.	नर्सिंग हॉम/क्लीनिक	2500		500
25.	पैथोलोजिकल लैब	2000		500
26.	निजी अस्पताल 20 बिस्तर तक	2500		500
27.	निजी अस्पताल 20 से 50 तक	3000		750
28.	निजी अस्पताल 50 बिस्तर से अधिक	4000		750
29.	मिल/ अन्य मिल	3000		750
30.	अन्य उद्योग शिडकुल क्षेत्र में	4000		500
31.	अन्य उद्योग शिडकुल क्षेत्र से बाहर	3000		500
32.	अन्य			

नोट:

- उपरोक्त उपभोक्ता व्यय सांकेतिक है और उनका निर्णय और स्वीकृति नगर पालिका परिषद मंगलौर बोर्ड द्वारा निर्णित किये जायेंगे।
- मल निस्तारण समयावधि में होगा या जब टैंक 2/3 की आपूर्ति कर देता है। (जैसा कि नगर पंचायत लण्ढौरा बोर्ड द्वारा स्वीकृत)
- उपभोक्ता लागत 5 प्रतिशत वार्षिक दर से बढ़ाई जायेगी।
- मैकेनिज्म का निरीक्षण, क्रियान्वयन और मजबूती देना:
- कोई भी व्यक्ति जोकि एस0एम0सी0/ नगर पंचायत लण्ढौरा द्वारा अधिकृत है, उसको पूर्ण अधिकार होगा कि वह सेप्टिक टैंक एवं हर एक मकान के शौचालय गड्डे या सामुदायिक / संस्थागत आदि का निरीक्षण करेगा।

8.2 मल निस्तारण का अनुपालन न करना जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, जुर्माना अलग से लगाया जायेगा और इससे प्राप्त धनराशि नगर पंचायत लण्डौरा में जमा होगी।

8.3 नगर पंचायत लण्डौरा और परिचारक अपने क्षेत्र के सेप्टिक टैंक के खाली होने का अभिलेख रखेंगे।

8.4 अवचेतना कार्यक्रम समय-समय पर चलाया जायेगा, जो कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकार या निजी व्यवसाय के प्रशिक्षण हेतु होगी। जो कि सेप्टिक टैंक बायोडाइजेस्टर मल निस्तारण सेप्टिक टैंक का एकत्रीकरण, मशीनरी, परिवहन, निष्पादन और सेप्टेज का ट्रीटमेंट हेतु प्रशिक्षण होगा।

9. दंड:

दंड का ढांचा उपकरण से रहित/अकार्यशील जी०पी०एस० प्रणाली निर्धन वर्ग की शिकायते, फीकल स्लज का एकत्र न करना और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट का/आर.एन.एल. का रजिस्ट्रीकरण न करना। सुरक्षित उपाय मल निस्तारण गाडियों का अनुपालन न करना।

सारणी 3 दंड

क्र०सं०	शिकायत का प्रकार	दंड या कार्यवाही प्रथम दृष्टया पकड़ी गयी वर्ष में एक बार मल निस्तारण वाहन	दंड या कार्यवाही वर्ष में दुबारा पकड़ी गयी मल निस्तारण वाहन से सम्बन्धित	दंड या कार्यवाही वर्ष में तीसरे समय पकड़ी गयी विशेष रूप से मल निस्तारण वाहन
1.	लोगों की सेवा की शिकायत	2500	5000	तीन महीने के लिए परमिट
2.	सेप्टेज/फीकल स्लज जैसा की विशेष कार्यक्षेत्र में खाली न करने पर	4000	6 माह के लिए परमिट को स्थगित करना	सेवा की शिकायत परमिट का निरस्तीकरण
3	पंजीकरण न करना/पंजीकरण का नवीनीकरण न करना	1000	20000	आर०टी०ओ० को संस्तुति वाहन के पंजीकरण को निरस्त करने हेतु 3 महीने के लिए परमिट को स्थगित करना/परमिट का निरस्तीकरण के लिए स्थगित करना।
4	विशेष सुरक्षा उपायों का पालन न करना	5000	10000	
5	जी०पी०एस० जो वाहन पर लगाया गया है उसका कार्य न करना	5000	10000	

सुरेन्द्र कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत लण्डौरा।

गोपाल सिंह चौहान,
प्रशासक,
नगर पंचायत लण्डौरा।